न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 60 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गेनाराम पुत्र रायमलराम उम्र 55 वर्ष
2. मंगलाराम पुत्र हेमाराम उम्र 65 वर्ष
3. पोकरराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी कानासर गोलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.गोमाराम पुत्र भूराराम उम्र 55 वर्ष
2.राणाराम पुत्र भूराराम उम्र 50 वर्ष
3.हुकमाराम पुत्र भूराराम उम्र 65 वर्ष
4.करनाराम पुत्र भींयाराम उम्र 45 वर्ष
5.चेतनराम पुत्र भीयाराम उम्र 40 वर्ष
6.डूंगराराम पुत्र खेराजराम उम्र 75वर्ष
7.नगाराम पुत्र बालाराम उम्र 30 वर्ष
8.श्रीमती चूनीदेवी पत्नी बालाराम उम्र 65 वर्ष
9.जगूराम पुत्र कोहलाराम उम्र 65 वर्ष
10.विशनाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 60 वर्ष
11.नेनाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 58 वर्ष
12.अचलाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 55 वर्ष
13.गुमनाराम पुत्र कोहलाराम का.मु.
13 / 1निम्बाराम पुत्र गुमनाराम उम्र 30 वर्ष
13 / 2दीपाराम पुत्र गुमनाराम उम्र 25 वर्ष
13 / 3श्रीमती चूनीदेवी पत्नी गुमनाराम उम्र 60 वर्ष
14.श्रीमती गवरीदेवी पत्नी कोहलाराम उम्र 75 वर्ष
15.नगाराम पुत्र चुतराराम उम्र 30 वर्ष
16.मांगाराम पुत्र चुतराराम उम्र 25 वर्ष
17.देवीलाल पुत्र चुतराराम उम्र 23 वर्ष
18.तगाराम पुत्र चुतराराम उम्र 22 वर्ष
19.ओमप्रकाश पुत्र चुतराराम उम्र 21 वर्ष
20.मेगाराम पुत्र चुतराराम उम्र 20 वर्ष
21.लाभूराम पुत्र चुतराराम उम्र 19 वर्ष
22.श्रीमती चूनीदेवी पत्नी चुतराराम उम्र 60 वर्ष
23.हुकमाराम पुत्र हेमाराम का मु
23 / 1टीकमाराम पुत्र हुकमाराम का मु
23 / 1 / 1माधुराम पुत्र टीकमाराम उम्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

30 वर्ष
23/1/2जमना पत्नी टीकमाराम उम्र 60 वर्ष
23/2रूगाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 60 वर्ष
23/3गेनाराम पुत्र हुकमाराम उम्र55वर्ष

23/4पप्पूराम पुत्र तेजाराम उम्र 35 वर्ष
23/5गजाराम पुत्र तेजाराम उम्र 30वर्ष
23/6गंगाराम पुत्र तेजाराम उम्र 30वर्ष
23/7श्रीमती किस्तुरीदेवी पत्नी तेजाराम उम्र 60 वर्ष
24.धूड़ाराम पुत्र हेमाराम का.मु.
24/1राजूराम पुत्र धूड़ाराम उम्र 30 वर्ष
24/2करनाराम पुत्र धूड़ाराम उम्र26वर्ष
24/3श्रीमती नवली पत्नी धूड़ाराम उम्र 65 वर्ष
25.दलाराम पुत्र उदाराम उम्र 60 वर्ष
26.भंवराराम पुत्र रायमलराम उम्र 63 वर्ष
27.मोटाराम पुत्र रायमलराम उम्र 61 वर्ष
28.सुराराम पुत्र रायमलराम उम्र 59 वर्ष
29.खेताराम पुत्र पनाराम उम्र 55 वर्ष
30.जीवनाराम पुत्र पनाराम उम्र 52 वर्ष
31.रूगाराम पुत्र पनाराम उम्र 45 वर्ष
32.श्रीमती सिणगारीदेवी पत्नी पन्नाराम उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी कानासर गोलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर।
33.मैनेजर, बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक बाड़मेर।
34.मैनेजर, जे.टी.जी.बी. शाखा भीयाड़ जिला बाड़मेर।
35.मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू जिला बाड़मेर
36.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

1. वकील श्री दीनदयाल प्रजापत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 4,7,9 से 14,18,19 की ओर से।
3. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।
4. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 5 से 8, व 23/2से 23/7 व 25 से 32 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 29.11.2019

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को एकतरफा विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर अपीलांट की सम्यक तामिल नहीं हुई। अपीलांट के नाम जारी सम्मन को अपीलांट संख्या 01 नाबालिग पुत्र से तामिल करवाई गई है नाबालिग होने का शपथ–पत्र पेश किया गया। दिनांक 26.07.2019 को अपीलांटगण अपने–अपने हिस्से एवं कब्जा–काश्त की भूमि पर काश्त करने लगे तो रेस्पोडेंट क्रमांक 09 से 22 आये तथा अपीलांटगण को काश्त करने से मना किया तथा अपीलांटगण की कब्जा–काश्त की भूमि को अपनी खातेदारी भूमि होना बताया तथा अपीलांटगण की आवासीय ढाणियों को भी अवैध होना बताकर हटाने हेतु कहां तथा रेस्पोडेंटगण ने यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने 03 वर्ष पूर्व फैसला के जरिये यह भूमि उनकी घोषित कर दी है। अपीलांटगण ने दिनांक 29.07.2019 को निर्णय/डिक्री की प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया, तथा दिनांक 31.07.2019 को अपीलांटगण के अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट संख्या 4,7,9 से 14,18,19 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर तामिल पर्याप्त हो चुकी है। मामले को लंबा करने हेतु पेश किया गया। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट 01 से 03 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट 5 से 8, व 23/2से 23/7 व 25 से 32 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन की फर्द पर तामिल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है अपीलांट संख्या 01 का सम्मन पुत्र से तामिल करवाया गया है जिसमें अंकित किया गया है पुत्र साथ में रहता है तथा बालिक है। अपीलांट संख्या 02 स्वयं का सम्मन स्वयं से बाद तामील है। अपीलांट संख्या 03 का सम्मन पत्नी द्वारा तामील है। अपीलांट द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। मौका फर्द दिनांक 09.07.2016 के संलग्न तहसीलदार शिव द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर युक्त रंगीन नक्शा पेश किया गया है। अपीलांट संख्या 01 स्वयं के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है। **अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

Scanned by CamScanner

है कि अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी इतने समय तक केसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 03 वर्ष 03 माह की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2014 बअनवान गोमाराम बनाम करनाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2016 को यथावत रखा जाता है।

29/11/19
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/11/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner